समाजशास्त्र
BA Part III
Paper VII

Social Pathology

(1)

From-
Dr. Arun Kumar
Reader
Deptt of Sociology SASARAM
Shershah College

18/5/20

अपराध [Crime]

मानव इतिहास के प्रत्येक युग मे अपराधी व्यवहार समाज की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। समाज मे अधिकांश व्यक्ति जब सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करते है वही अनेक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ दोषपूर्ण पर्यावरण तथा मानसिक विकारो के कारण ऐसे व्यवहार भी करते है जो राज्य के कानूनो अथवा सामाजिक मूल्यो के विरुद्ध है। समाज विरोधी तथा जन-कल्याण के विरुद्ध किये जाने वाले व्यवहारो को अपराध तथा इन्हे करने वाले लोगो को अपराधी कहा जाता है। अपराध का अर्थ व्यापक है विभिन्न युगो और विभिन्न समाजो मे अपराध का अर्थ भी एक दूसरे से भिन्न है। प्राचीन और आदिम समाजो मे धार्मिक नैतिक और प्रथागत नियमो को तोड़ना एक गम्भीर अपराध माना जाता था जबकि वर्तमान समाज मे केवल उन्ही व्यवहारो को अपराध माना जाता है जो राज्य के कानूनो के विरुद्ध हो

→ अपराध क्या है → यह एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल प्रश्न है। प्रत्येक समाज मे यद्यपि बहुत से कानूनो के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारो पर नियन्त्रण रखा जाता है लेकिन सामाजिक नियन्त्रण को बनाए रखने मे धार्मिक विश्वासो प्रथाओ, नैतिक नियमो, और सामाजिक मूल्यो का महत्व भी कम नही होता, अपराध के बारे मे जनसाधारण की धारणा यह होती है कि जो कार्य नैतिक नियमो और सामाजिक मूल्यो के विरुद्ध है उन्ही को करना अपराध है।

→ सभी समाजो मे सामाजिक मूल्य एक-दूसरे से भिन्न है, लेकिन आदिम समाजो मे पितृहत्या यौनिक स्वतन्त्रता तथा स्त्रियो के अपहरण को सामाजिक मूल्यो के विरुद्ध माना जाता है। जबकि अनेक दूसरे समाज मे इन व्यवहारो को गम्भीर अपराध के रूप मे देखा जाता है। उदाहरण के लिए भारत मे मुख्यकालिन सामाजिक मूल्यो समय के अनुसार बदलते रहते है सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, बालविवाह तथा अस्पृश्यता के आचरण समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार थे, लेकिन आज यह व्यवहार देश के कानूनो और सामाजिक मूल्यो के विरुद्ध होने के कारण अपराध है। इस दशा मे यह समझ लिया जाता है कि कानून विरोधी आचरण करना अपराध है। यदि यह कहा जाय कि अपराध वह व्यवहार है जिसके लिए राज्य की ओर से दण्ड दिया जाता है

→ डॉ एमजे सेथना के अनुसार — अपराध को किसी ऐसे कार्य अथवा त्रुटि के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है - जो राज्य और समाज के कानून के अनुसार दण्डनीय होता है इसका सम्बन्ध चाहे पाप से होया नही।

→ लाण्डेवरी के अनुसार - अपराध एक अदकानूनी कार्य है जो जनता के विरुद्ध होता है। जिसे करने वाले को दण्ड दिया जाता है →

अपराध के कारण सम्बन्धी सिद्धान्त
(Theories of crime)

अपराध प्रत्येक की एक सर्वव्यापी विशेषता है। कुछ विद्वानों का यहाँ तक कथन है कि अपराध को रोकने के लिए बनाए गये नियम अस्वाभाविक हैं क्योंकि वे व्यक्ति की स्वाभाविक क्रियाओं पर नियंत्रण लगाते हैं। अपराध की प्रकृति और सीमा चाहे कुछ भी हो, हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह आता है कि अपराध क्यों होते हैं? विभिन्न विद्वानों ने इस प्रश्न का उत्तर अनेक सिद्धान्तों के रूप में देने का प्रयास किया है।

(1) संस्थापित सिद्धान्त (Classical Theory) इस सिद्धान्त का आधार सुख सम्बन्धी मनोविज्ञान है। यह सिद्धान्त 19 वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत अपराध को रोकने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि अपराध के बदले मिलने वाला दण्ड कठोर से कठोर होना चाहिए जिससे अपराधी को अपराध करने से सुख की अपेक्षा दुःख का अनुभव अधिक हो। यह सिद्धान्त काल्पनिक विश्वासों पर आधारित है। अपराधी एक खजाञ्ची नहीं होता जो अपराध की परिस्थितियों को देखे बिना ही सभी अपराधियों को एक समान और कठोर दण्ड दिया जाए अपराध की व्यवस्था में आज इस सिद्धान्त को तनिक भी महत्व नहीं दिया जाता।

(2) भौगोलिक सिद्धान्त (Geographical Theory) यह सिद्धान्त भौगोलिक सम्प्रदाय के विचारों पर आधारित है जिसके प्रतिपादकों में क्वेटलेट और ग्वैरी के नाम प्रमुख हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधों का कारण जलवायु ऋतुएँ अथवा प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं ही रहे हैं। क्वेटलेट ने अपराध का एक Thermic Law बनाया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध जैसे हत्या, बलात्कार पशुता, घातक आक्रमण आदि दक्षिणी प्रदेशों और गर्म मौसम में अधिक होते हैं, जबकि सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध जैसे - चोरी, डकैती, चोरमार, आदि उत्तरी प्रदेशों और ठण्डे मौसम में अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ अपराध का सम्बन्ध जोड़ने के लिए लेकेसन ने महीनों का कलेण्डर ही बना दिया जिसमें प्रत्येक माह के अपराध की मात्रा और प्रकृति भिन्न भिन्न दिखायी गई है। अपराध - जैसे जटिल प्रक्रिया को भौगोलिक दशाओं के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता।

यदि भौगोलिक दशाएँ ही अपराध का कारण है, तब

समान भौगोलिक दशाओं में रहने वाले दो समाजों में अपराध की मात्रा और प्रकृति में इतना अन्तर क्यों पाया जाता है? यह सिद्धान्त इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता, गिलिन का कथन है कि वर्तमान युग में भौगोलिक दशाएं अधिक से अधिक एक अप्रत्यक्ष कारक हैं। जो व्यापार रहन, सहन और मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करके अपराध की स्थिति उत्पन्न कर सकती है

→ (3) प्रारूपवादी सिद्धान्त — अपराध की व्याख्या में यह सिद्धान्त सबसे अधिक विवादपूर्ण रहा है। इसके अनुसार अपराधी एक विशेष प्रकार का मानव है जिसकी अनेक शारीरिक विशेषताएं जन्मजात और गैर अपराधियों से बिल्कुल भिन्न किस्म की होती हैं। इस विचारधारा के आधार पर यह सिद्धान्त तीन उपशाखाओं में विभाजित है, जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है—

→ (क) लम्ब्रोसो का सिद्धान्त — अपराधी जन्मजात होते हैं - इनके अनुसार चौड़े और फैले हुए जबड़े, संकुचित अथवा अन्दर को दबा हुआ माथा, अधिक छोटी अथवा अधिक लम्बी नाक, चेहरे पर अकारण ही पड़ने वाली लम्बे कान, असाधारण दौड़ी शरीर पर अधिक बाल, हाथों की अधिक लम्बाई और बाएं हाथ की सक्रियता आदि अपराधी व्यक्तियों की कुछ प्रमुख - शारीरिक विशेषताएं हैं।

→ (ख) गोडार्ड का सिद्धान्त — गोडार्ड ने भी अपराधियों को जन्मजात ही माना है एक अपराधी मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति होता है इसलिए वह बिना परिणाम पर विचार किए समाज विरोधी कार्यों में लग जाता है, मानसिक दुर्बलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती रहती है। अपराधियों के सन्तानें भी अपराधी ही बनती हैं। अर्थात अपराधियों में सन्तानोत्पादन की क्षमता को समाप्त करके ही भविष्य में अपराधों से छुटकारा पाया जा सकता है।

→ (ग) मनोविकार सिद्धान्त — यह सिद्धान्त प्रारूपवादी सिद्धान्त की ही एक शाखा है। इसमें शारीरिक विशेषताओं के स्थान पर मानसिक विकार मनुष्य की संवेगात्मक अस्थिरता को अपराध का कारण माना गया है।

→ (4) समाजशास्त्रीय सिद्धान्त — अपराध की व्याख्या में आज समाजशास्त्रीय

विचारधारा को सबसे उपयुक्त समझा जाता है। यह विचार धारा अपराध के सुखवादी, भौतिकवादी, मनोवैज्ञानिक तथा जन्मजात सिद्धान्तों का खण्डन करके यह निष्कर्ष देती है कि किसी समाज मे अपराध सामाजिक दशाओं की उपज है तथा समाज ही अपराधियों का निर्माण करता है। अपराध एक प्रकार का सामाजिक रोग है तथा अपराध की ओर प्रवृत्त हो गये। तथा अपराध को वैयक्तिक विघटन की एक विशेष प्रवृति के रूप मे स्पष्ट किया जाना चाहिए

→ सदरलैण्ड का विचार है कि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है जो अन्तक्रिया तथा सम्पर्क के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है। अपराधी व्यवहार एक सीखा हुआ व्यवहार है। ② अपराधी व्यवहार की सीख अन्तक्रिया और सचार के माध्यम से प्रभावपूर्ण बनती है, अपराधी व्यवहार का एक बड़ा भाग प्राथमिक समूहो मे सीखा जाता है। अपराधी व्यवहार की सीमा अथवा दर सीखने की प्रक्रिया की प्राथमिकता, पुनरावृति अवधि तथा तीव्रता के अनुसार घटती बढ़ती है।

→ टैफ्ट ने अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त को सास्कृतिक आधार पर विकसित करते हुए यह निष्कर्ष देते है कि अपराध सास्कृतिक असन्तुलन की उपज है। फ्रैंकी, स्ट्रिल, वर्ट हेली, तथा वार्न्स और टीटर्स जैसे विद्वानो का विचार है कि अपराधी व्यवहार को विभिन्न सयोगो का परिणाम है तथा विभिन्न परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करती है, यही वह दृष्टिकोण है जो समाज-शास्त्रीय सिद्धान्त की सार्थकता को स्पष्ट करदेता है।

Prem –

Dr Ashok Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Shershah College
SASARAM.

Scanned by TapScanner